तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज
6/6/2024	पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थी अनु० अप्रार्थी की तलबी जरिये नोटिस की जाकर पत्रावली दिनांक 14/6/2024 को पेश हो।
14/6/2024	पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थी अनु० अप्रार्थी की तलबी जरिये नोटिस की जाकर पत्रावली दिनांक 28/6/2024 को पेश हो।
28/6/2024	पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थी अनु० अप्रार्थी की तलबी जरिये नोटिस की जावे। पी० ठा० अन्य राजकार्य में व्यस्त होने से पत्रावली स्थगित दिनांक 9/8/2024 को पेश हो।
9/8/24	पत्रावली पेश हुई। **अप्रार्थी उपस्थित।** अप्रार्थी की ओर से प्रस्तुत किये गये परिवाद में उन पर लगाये गये आरोपों को जांच रिपोर्ट के अनुसार स्वीकार करते हुए जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि भविष्य में अप्रार्थी इस तरह की कोई गलती नहीं करेंगे। पत्रावली का अवलोकन किया गया। परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात एवं रिपोर्ट के अनुसार अप्रार्थी द्वारा आमजन में **अवमानक (sub standard) मावा मूल गत्ता पैक का विक्रय करना** पाया गया। अप्रार्थी ने खाद्य सुरक्षा और मानक

अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा (2)(II) का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 में निर्धारित है। उपरोक्त प्रावधान का मध्येनजर रखते हुए अप्रार्थी को जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाना उचित प्रतीत होता है, चूंकि अप्रार्थी द्वारा उन पर लगाये गये आरोपों को स्वीकार करने एवं उन पर लगाये गये आरोपों की भविष्य में पुनरावृति नहीं किये जाने हेतु आश्वस्त किया गया है। **अत श्री नरेश कुमार शर्मा पुत्र श्री दुर्गालाल उम्र 37 वर्ष, मैसर्स–श्री कृष्णा डेयरी एण्ड मिष्ठान भण्डार, मण्डी गेट के सामने सुल्तानपुर जिला कोटा निवासी– चार भूजा मन्दिर के पास, सुल्तानपुर जिला कोटा जिला कोटा** पर **8000/– रूपये (अक्षरे आठ हजार रूपये)** शास्ती आरोपित की जाती है। अप्रार्थी प्रतिपक्षीगण आरोपित शास्ती राशि जमा राज कराकर रसीद प्राप्त करें। निर्णय की प्रति आवेदक जर्ये **अरूण सक्सेना** खाद्य सुरक्षा अधिकारी को भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दायर रजिस्टर के नम्बर से कम होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफतर हो।

अति0 जिला कलेक्टर
कोटा